रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052024-254054
CG-MH-E-06052024-254054

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, सोमवार , मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946
No. 315] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अप्रैल, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्नी संविदा हेतु मार्जिन) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2024

सं.फेमा.399(1)/2024-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्नी संविदा हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 [अधिसूचना सं. फेमा.399/आरबी-2020 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020] (इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्नी संविदा हेतु मार्जिन) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल विनियमावली में संशोधन

(i) मूल विनियमावली के विनियम 2 के खंड (v) के उप-खंड (ग) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

ग) मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण व्युत्पन्नी) निदेश, 2022 (अधिसूचना सं.एफएमआरडी. डीआईआरडी.11/14.03.004/2021-22 दिनांक 10 फरवरी, 2022), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार ऋण व्युत्पन्नी संविदा किया गया, तथा

(ii) मूल विनियमावली के विनियम 4 को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

4. अनुमति

(1) अधिनियम के तहत और तत्समय प्रवृत्त रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी अन्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, और इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत व्यापारियों को निम्नलिखित की स्वीकृति है:

(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के साथ की गई अनुमत व्युत्पन्नी संविदा हेतु भारत में और भारत से बाहर मार्जिन पोस्ट और एकत्र करना तथा ऐसे मार्जिन पर ब्याज प्राप्त करना और भुगतान करना।

(ii) किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी के साथ की गई अनुमत व्युत्पन्नी संविदा हेतु भारत से बाहर मार्जिन पोस्ट और एकत्र करना, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारियों में से कम से कम एक विदेशी बैंक की शाखा हो, तथा ऐसे मार्जिन पर ब्याज प्राप्त करना और भुगतान करना।

(iii) अपनी विदेशी शाखाओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बैंकिंग इकाइयों के व्युत्पन्नी लेनदेनों हेतु भारत में और भारत से बाहर मार्जिन पोस्ट और एकत्र करना, तथा ऐसे मार्जिन पर ब्याज प्राप्त करना और भुगतान करना।

बशर्ते कि ऐसे मार्जिन की पोस्टिंग और संग्रह और मार्जिन पर ब्याज की प्राप्ति और भुगतान प्राधिकृत व्यापारी या उसकी विदेशी शाखाओं या उसके विदेशी प्रधान कार्यालय (इसकी विदेशी शाखाओं सहित) द्वारा, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन किया जाए।

(2) उक्त अधिनियम के तहत और तत्समय प्रवृत्त रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी अन्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, और इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के साथ की गई अनुमत व्युत्पन्नी संविदा हेतु अपने ग्राहकों की ओर से भारत में और भारत के बाहर मार्जिन पोस्ट और संग्रह कर सकते हैं और ऐसे मार्जिन पर ब्याज प्राप्त और भुगतान कर सकते हैं ।

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./085/2024-25]

फुटनोट:- मूल विनियमावली भारत के शासकीय राजपत्र – असाधारण : भाग III-धारा 4 में राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-28102020-222786 दिनांक 28.10.2020 [अधिसूचना सं. फेमा 399/आरबी-2020 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्नी संविदा हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020) दिनांक 23 अक्टूबर, 2020] के माध्यम से प्रकाशित हुई थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(FINANCIAL MARKETS REGULATION DEPARTMENT)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th April, 2024

Foreign Exchange Management (Margin for Derivatives Contracts) (First Amendment) Regulations, 2024

No. FEMA.399(1)/2024-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Margin for Derivatives Contracts) Regulations, 2020 [Notification No. FEMA.399/RB-2020 dated October 23, 2020] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation'), namely:-

1. Short title and commencement

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Margin for Derivatives Contracts) (First Amendment) Regulations, 2024.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Principal Regulation

(i) In the Principal Regulation, in Regulation 2, in clause (v), sub-clause (c) shall be substituted with the following, namely: -

c) Credit Derivative Contract undertaken in terms of the Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Derivatives) Directions, 2022 (Notification no. FMRD.DIRD.11/14.03.004/2021-22 dated February 10, 2022), as amended from time to time, and

(ii) In the Principal Regulation, Regulation 4 shall be substituted with the following, namely:-

4. Permission

(1) Notwithstanding anything contained in any other regulation issued by the Reserve Bank under the Act and for the time being in force, and subject to directions issued by the Reserve Bank in this regard, authorised dealers may:

(i) Post and collect margin, in India and outside India, for a permitted derivative contract entered into with a person resident outside India, and receive and pay interest on such margin.

(ii) Post and collect margin, outside India, for a permitted derivative contract entered into with another authorised dealer, provided that at least one of the authorised dealers is a branch of a foreign bank, and receive and pay interest on such margin.

(iii) Post and collect margin, in India and outside India, for derivative transactions of their overseas branches and International Financial Services Centre Banking Units, and receive and pay interest on such margin.

Provided that posting and collection of such margin and receipt and payment of interest on the margin may be undertaken by the Authorised Dealer or by its overseas branches or its overseas head office (including its overseas branches), subject to terms and conditions specified by the Reserve Bank.

(2) Notwithstanding anything contained in any other regulation issued by the Reserve Bank under the Act and for the time being in force, and subject to directions issued by the Reserve Bank in this regard, authorised dealers may post and collect margin, in India and outside India, on behalf of their customers for a permitted derivative contract entered into with a person resident outside India and receive and pay interest on such margin.

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./085/2024-25]

Foot Note:- The Principal Regulation was published in the Official Gazette of India – Extraordinary: Part III–Section 4, *vide* Gazette ID CG-MH-E-28102020-222786 dated 28.10.2020 [Notification no. FEMA 399/RB-2020 (Foreign Exchange Management (Margin for Derivatives Contracts) Regulations, 2020) dated October 23, 2020].

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.06 22:48:25 +05'30'